संख्या-74/2025/001-807-24-1-2025-51-2023

प्रेषक,

प्रभंजनयादव,
उपसचिव,
उ0प्र 0शासन।

सेवामें,

प्रबन्धनिदेशक,
उ0प्र 0पावरकारपोरेशनलि0,
शक्तिभवन, लखनऊ।

ऊर्जाअनुभाग 1- लखनऊ : दिनांक 16 सितम्बर, 2025

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में रिवैम्प्ड योजनान्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की हानियों की फण्डिंग हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त,उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-653/अधि0नि0(वित्त)/विप्र-2/आय-व्ययक/2025-26/468, दिनांक 02 सितम्बर, 2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में ऊर्जा विभाग के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक 2801-05-800-09-20 में रिवैम्प्ड योजनान्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की हानियों की फण्डिंग हेतु प्राविधानित धनराशि रूपये 5000,00,00,000/- (रूपये पॉच हजार करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 2500,00,00,000/-(रूपये दो हजार पॉच सौ करोड़ मात्र) को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण माह अक्टूबर एवं नवंबर, 2025 में क्रमशः रूपये 600 करोड़ एवं 650 करोड़ की किस्तों में, माह दिसंबर, 2025 में रुपये 350 करोड़ एवं माह जनवरी से मार्च, 2026 तक प्रति माह रूपये 300-300 करोड़ की किस्तों में किया जाएगा।

(2) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता होने पर किया जायेगा।

(3) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाया जायेगा तथा तत्संबंधी बिल ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को प्रतिहस्ताक्षर हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

(5) इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) द्वितीय किश्त के आहरणोपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने पर ही अगली किश्त की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(7) वर्तमान में अवमुक्त की जा रही धनराशि के आहरणोपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेगें।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 25,00,00,00,000 (रूपये दो हजार पॉच करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025 - 26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 009 लेखा शीर्षक 2801058000900 रिवैम्प्ड योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की हानियों की फण्डिंग मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-48-X-2025-26-दिनांक:10-9-2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

प्रभंजन यादव
उप सचिव।

संख्या-74 /2025/001-807(1)-24-1-2025-51-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिनिम्नलिखितकोसूचनार्थएवंआवश्यककार्यवाहीहेतुप्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखाएवहकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनीनायडूमार्ग, प्रयागराज-211001
2- महालेखाकार, (लेखापरीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनीनायडूमार्ग, प्रयागराज-211001
3- कार्यालयप्रधानमहालेखाकार(लेखापरीक्षा-।।), उ0प्र0, आडिटभवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
4- मुख्यकोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6- गार्डबुक।

आज्ञासे,

प्रभंजन यादव
उप सचिव।